

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

कलावती सरन चिल्ड्रेन अस्पताल, नई दिल्ली में “फीजिओथेरेपिस्ट” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008- स्थापना (आरआर) के अनुपालन में कलावती सरन चिल्ड्रेन अस्पताल नई दिल्ली में “फीजिओथेरेपिस्ट” के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। या medicalhospital61@gmail.com ई-मेल कर सकते हैं।

(राम नरेश )

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष: 011- 23061843

(राम नरेश)

(RAM NARESH)

अवर सचिव /Under Secretary

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

Ministry of Health & F.W.

भारत सरकार /Govt. of India

नई दिल्ली /New Delhi

नई दिल्ली  
दिनांक :

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख , 2024

सा.का.नि. ... -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध फीजियोथेरेपिस्ट के समूह 'ख' पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कलावती सरन बाल अस्पताल में फीजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, फीजियोथेरेपिस्ट (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहंताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहंताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहता:** वह व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फिजियोथेरेपिस्ट  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(03)*  2024	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसंचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6  (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	<p>30 वर्ष से अधिक नहीं।</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में 5(पाँच) वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पणि: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्ष्मीपुर संघ राज्य-क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवेश की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>अनिवार्यः</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फीजियोथेरेपी में स्नातक की डिग्री।</li> <li>(ii) न्यूनतम सौ बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल में फीजियोथेरेपी में दो वर्ष का अनुभव।</li> </ul> <p>वांछनीयः सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फीजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर की डिग्री।</p>	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।
टिप्पणः अनुभव संबंधी अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार,			

कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल -अध्यक्ष;</p> <p>2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक -सदस्य;</p> <p>3. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -सदस्य।</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[ए.11018/07/2024-एमएच-11]

(राम नरेश)

अवर सचिव, भारत सरकार